

प्रारूप-9  
नियम 8(2) देखिये

संख्या 03113/2022-2023

दिनांक 13/12/2022



सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र  
(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन )

नवीनीकरण

संख्या: R/MAT/14879/2022-2023

पत्रावली संख्या: AG-55976 दिनांक: 2012-2013

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि केहरी सिंह शिला समिति, गाम सूरज पौरा राया जिला मधुरा, मधुरा, 231204 को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 66/2012-13 दिनांक-17/04/2012 को दिनांक-17/04/2022 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।  
1300 रुपये की नवीनीकरण फ्रीस सम्बन्धकृत रूप से प्राप्त हो गयी है।



Digitally Signed By  
(DILEEP KUMAR GUPTA)  
413BB3E4C4EA599134784B928CFEFC03BD7C25C5  
Date: 13/12/2022 2:03:53 PM, Location: Agra.

जारी करने का दिनांक-13/12/2022

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,  
उत्तर प्रदेश।

# भारतीय और न्यायिक

दस  
रुपये  
₹.10

भारत

TEN  
RUPEES  
Rs.10

सत्यमव ग्रन्ति

INDIA

## INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH-

36AB 943609

इस अनरल स्टाम्प पेपर के दृश्यालय आधिकारी  
रुपये एक रुपये  
जिता 21 अगस्त 1955 को नं 55976  
भूमिका के साथ संबंध है।



चप चिन्हस्वाक्षर  
चिन्ह-पात्र एवं दसा सोसाइटी  
आवश्यक, बापता  
9-4-12

भारतीय गैर न्यायिक

दस  
रुपये  
₹.10

भारत

TEN  
RUPEES

Rs. 10

सरकारी चालना

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

36AB 943610

यह अनरुद्ध स्थान वेपुर तोदरी मुमुक्षु राज्य /  
१०० रुपया प्रौद्योगिक नं.  
२०५८ के साथ चलना है।  
प्रौद्योगिक



प्रौद्योगिक  
उत्तर प्रदेश राज्य सोशाइटी  
वापसी वंच, वापसी  
20-4-12

समृद्धिपत्र

- 1- संस्था का नाम-
- 2- संस्था का पता-
- 3- संस्था का कार्यक्षेत्र-
- 4- संस्था के उद्देश्य-

केहरी सिंह शिक्षा समिति।  
ग्राम सूरज पोल राया जिला मथुरा।  
समस्त उम्मेद होगा।

- 1- शिक्षा का प्रचार व प्रसार करना व शिक्षा विकास हेतु जगह-जगह विद्यालयों, मदरसों की स्थापना करना व उनका विधिवत संचालन कर छात्र-छात्राओं का सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक, शैक्षिक, चारित्रिक, शारीरिक, साहित्यिक, रचनात्मक एवं कलात्मक उन्नति का समुचित प्रयास करना।
- 2- शिक्षा विकास हेतु प्राईमरी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा व्यवस्था हेतु स्कूल कालेज, डिग्री कालेज, पी०जी० कालेज की स्थापना करना तथा निशुल्क दूरस्थ शिक्षा, तकनीकी, व्यवसायिक, औद्योगिक एवं ग्रामोद्योगी व कृषि शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना व उनका विधिवत संचालन कर युवक-युवतियों को स्वावलम्बी एवं आत्म निर्भर बनाना।
- 3- निर्धन, अनाथ अपंग अनुसूचित जाति जन जाति बच्चों को निशुल्क शिक्षा व उनके छात्रवृत्ति की समुचित व्यवस्था करना तथा बच्चों की सुविधा हेतु छात्रावास एवं पुस्तकालय, वाचनालय, कीड़ा स्थल, व्यायामशाला की व्यवस्था करना। एवं शैक्षिक व पुस्तकालय, वाचनालय, कीड़ा स्थल, व्यायामशाला की व्यवस्था करना।
- 4- शिक्षा विकास हेतु आधुनिक पाठ्यक्रम पर आवारित शिक्षण संस्थानों की स्थापना विनिन विश्वविद्यालयों से सम्बद्धता प्राप्त कर स्थापित करना तथा सी.बी.एस.इ./आई.सी.एस. इ. शिक्षा परिषद् के शिक्षण संस्थानों स्थापना कर उनका विधिवत प्रबन्धन संचालन करना।
- 5- शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना तथा उन्हें शिक्षित कर उनके जीवन स्तर युवक-युवतियों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करना व उन्हें शिक्षित कर उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाना शिक्षा के प्रति उन्हें जागरूक करना तथा उनके बच्चों लिये निशुल्क शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना बच्चों की सुविधा हेतु पुस्तकालय, वाचनालय, कीड़ा कानेन्द्रों, व्यायामशाला आवासीय विद्यालयों की स्थापना करना तथा निर्धन अनाथ अपंग बच्चों, मेघावी बच्चों को छावृत्तियों दिलाना।
- 6- नागरिकों के सर्वांगीण विकास हेतु शहरी एवं ग्राम्य क्षेत्रों एवं मलिन वस्तियों में स्वच्छता, साक्षरता, परिवार नियोजन, रिशु पोषण महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम बाल टीकाकरण कार्यक्रमों, गर्भवती महिलाओं का निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण आदि कार्यक्रम घटाना तथा उनके कल्याण हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की उन्हें जानकारी देना एवं समय-समय पर जागरूकता शिविरों का आयोजन करना।
- 7- केन्द्रीय एवं राज्य सरकार निगम, बोर्ड समाज कल्याण विभाग, एवं शिक्षा विभाग सम्बन्धित विभागों, व वैकों आदि के वित्तीय सहयोग, अनुदान, ऋण से चलाई जा रही योजनाओं को कार्यान्वित करना एवं सम्बन्धित विभागों से सम्पर्क स्थापित कर सहायता प्राप्त करना प्राप्त आय को संरक्षण के हितार्थ वेरीटेविल कार्यों में व्यय करना।
- 8- समय-समय पर संस्कृतिक कार्यक्रमों एवं जागरूकता शिविरों, निशुल्क स्वास्थ्य रक्त शिविरों, नेत्र रक्षा कैम्पों, विचार गोष्ठियों राहत शिविरों, जनजागृति शिविरों, कलाप्रदर्शनी प्रीढ़ शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन मध्यनिवेद्य कार्यक्रम घटाने का प्रयास करना।
- 9- संस्था का उद्देश्य सभी प्रकार की प्रतियोगी प्रशिक्षणों की निशुल्क तैयारी कराने का प्रयास करना है।
- 10- यह है कि राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा स्थापित बोर्ड/विश्व विद्यालयों द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों/उपाधियों हेतु जाने वाले प्रमाणपत्रों को न प्रदान किया जायेगा और नहीं ऐसे पाठ्यक्रम दिनों राज्य/भारत सरकार की अनुमति जैसे संचालित ही किये जायेंगे।

केद्वी/एवं  
लम्बविराज  
सुभन  
झीरा

monoz

कृष्ण  
काजी संख्या प्रतिलिपि ५

संख्या ३१

उप निवापक  
विद्यालय एवं विद्यालय



5-प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पता, पद एवं व्यवसाय दिये गये हैं जिन्हें कि नियमानुसार संस्था का कार्यभार सौंपा गया है-

क्रम सं० नाम	पता	पद	व्यवसाय
1-श्री केहरी सिंह पुत्रश्री भीष्म सिंह	ग्रा० सूरज पो० राया जिला मथुरा	प्रबन्धक	कृषि
2-श्री सत्यपीर सिंह पुत्रश्री फतेह सिंह	नगला डोग पो० कासिमपुर मथुरा	उपप्रबन्धक	नौकरी
3-श्रीमती सुमन पत्नीश्री धीरी सिंह	ग्रा० सूरज पो० राया जिला मथुरा	अध्यक्ष	गृहणी
4-श्रीमती मीरा पत्नीश्री सत्यवीर सिंह	कासिमपुर बलदेव मथुरा	उपाध्यक्ष	गृहणी
5- पूजा पुत्रश्री रामवीर सिंह	चन्द्रपुरी मथुरा	कोषाध्यक्ष	गृहणी
6-श्री बच्चू सिंह पुत्रश्री निरंजन	ग्रा० सूरज पो० राया जिला मथुरा	सदस्य	कृषि
7- लौगश्री पुत्रश्री मूलीश्वरींह	ग्रा० सूरज पो० राया जिला मथुरा	सदस्य	गृहणी
8-श्री सतीजा पुत्रश्री दर्याकुमार	ग्रा० सूरज पो० राया जिला मथुरा	सदस्य	कृषि
9-श्री राजीव पुत्रश्री श्योराज	ग्रा० कपूर पो० राया जिला मथुरा	सदस्य	कृषि
10- सीमा पुत्रश्री गंगाप्रसाद	जवाहर बाग कालोनी मथुरा	सदस्य	गृहणी
11-श्री धर्मवीर पुत्रश्री भगवत सिंह	ग्रा० सूरज पो० राया जिला मथुरा	सदस्य	कृषि
12-श्री पीतम पुत्रश्री प्रसादीलाल	ग्रा० सूरज पो० राया जिला मथुरा	सदस्य	कृषि
13-श्रीमती कुन्ती पत्नीश्री हरेन्द्र कुमार	ग्रा० कासिमपुर सहदपुर बलदेव मथुरा	सदस्य	कृषि
14-श्री देवदत्त पुत्रश्री सरदार सिंह	नगला झोपड़ी कूमा मथुरा	सदस्य	कृषि
15-श्री मनोज कुमार पुत्रश्री नवाब सिंह	ग्रा० सूरज पो० राया जिला मथुरा	सदस्य	कृषि

6-हम निम्न हस्ताक्षर कर्ता घोषित करते हैं कि उक्त स्मृति-पत्र एवं संलग्नक नियमावली के अनुसार सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधि०-२१ सन् १८८० के अन्तर्गत एक समिति का पंजीयन करना चाहते हैं संख्या प्रतिलिपि

केहरी सिंह  
संस्थाकार्यपाल  
मीरा

मुन्नी  
मानोज

गंगाली  
राजीव

उपप्रबन्धक  
पंजीयन अधिकारी एवं चिठ्ठा  
शायरा वृंत्र, भागदा  
संख्या ३८४३  
दमोदर  
सतीजा

(र) साधारण समा के अधिकार एवं कर्तव्य-

- 1— संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति का समय—समय पर चुनाव सम्पन्न कराना ।
- 2— नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन परिवर्तन 2/3 बहुमत से करना ।
- 3—वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूप रेखा तैयार पर विचार गिर्मी कर उसे स्वीकृत/अस्वीकृत करना ।

9—प्रबन्धकारिणी समिति—

(अ) गठन—प्रबन्धकारिणी समिति का गठन संस्था की साधारण समा में से बहुमत से 15 सदस्यों को चुनकर किया जावेगा, प्रबन्धकारिणी समिति में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक प्रबन्धक, एक उपप्रबन्धक, एक कोषाध्यक्ष एवं शेष कार्यकारिणी सदस्य होंगे।

कार्यकारिणीसमिति की संख्या साधारण समा के 2/3 बहुमत से कभी भी आवश्यकता नुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है जो कम से कम 7 व अधिक से अधिक 21 होगी।

(ब) बैठकें—प्रबन्धकारिणीसमिति की सामान्य बैठक वर्ष में दो तथा विशेष बैठक कभी भी आवश्यकता नुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है ।

(स) सूचना—अधिक—प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठकों की सूचना सदस्यों को एक सप्ताह पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना सदस्यों को 1 दिन पूर्व सूचना के किसी भी उचित या पर्याप्त माध्यम से सदस्यों को दी जावेगी ।

(द) गणपूर्ति—गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा ।

(ए) रिक्त स्थानों की पूर्ति—प्रबन्धकारिणी समिति के अन्तर्गत यदि कोई आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाता है तो इस स्थान/पद की पूर्ति साधारण समा के बहुमत से प्रबन्धकारिणी समिति में शेष कार्यकाल के लिये कर ली जावेगी ।

(फ) प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य—

1—संस्था के उन्नति एवं विकास हेतु कार्य करना एवं आपसी विवादों को सुलझाना ।  
2—नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन 2/3 बहुमत से कर उसे साधारण समा से स्वीकृत करना ।

3—वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूप रेखा तैयार करना ।

4—संस्था के विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों/मंत्रालयों एवं अन्य संस्थानों प्रतिष्ठानों, निकायों, नागरिकों आदि से दान, अनुदान, दन्दा, ऋण, एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करना प्राप्त आय को संस्था के हितार्थ उद्देश्यों की पूर्ति एवं धैरिटीविल कार्यों पर व्यय करना ।

5—संस्था के विकास हेतु जगह—जगह प्रदेश, मण्डल व जिला स्तरों पर अपने शाखा कार्यालय स्थापित कर उनका संचालन करेगी तथा ऐसी शाखाओं के लिये उपसमितियों गठन व उनकी सेवा शर्त के नियम निर्धारित करना तथा कार्य पूर्ण होने व दोष पूर्ण कार्य करने पर ऐसी उपसमितियों को भंग करना व नवीन उप कार्यकारिणी बनाना तथा उनके कोष पर पूर्ण नियंत्रण रखना द्वेषीय स्तर पर उपर्काईयों/उपसमितियों द्वारा कानूनिकारी परियोजनाओं का संचालन करना/कराना ।

(ग) कार्यकाल—प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का कार्यकाल पौंच वर्ष का होगा ।

अध्यक्ष—

1—संस्था की ओर से समस्त प्रकार की भीटिंगों की अध्यक्षता करना ।

2—नीटिंग बुलाना व स्थिरित करना, किसी विषय पर बराबर मत की दशा में अपना निर्णयक मत देना ।

3—संस्था की कार्यकारिणी समिति व साधारण समा द्वारा स्वीकृत कार्यों को करना व संस्था की आम देखभाल करना ।

केहरीलिंग  
राधानीरीति  
सुन  
झीरा

उत्तर  
monet  
S

भोगाश्रा  
लक्ष्मी  
राजीतत्व प्रतिष्ठिति  
स्टोरा  
उप निवास  
ज्ञान विद्यालय एवं विद्यु  
वार्षिक विद्यालय एवं विद्यु

—3—  
अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके द्वारा सौंपे गये कार्य एवं सामान्य स्थिति में उनका सहयोग करना ।

1—संस्था की ओर से समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही की पैरवी करना एवं अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखना ।

2—संस्था के अन्तर्गत संचालित संस्थानों व शिक्षण संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों एवं कार्यकर्ताओं की नियुक्ति नियन्त्रण पदोन्नति एवं पदब्युत करना, उनकी सेवा शर्त के नियम बनाना, वेतन भत्ते तथा करना व उसका भुगतान करना ।

3—संस्था के समस्त आवश्यक दस्तावेजों, ऋण अनुदान पत्रों, चैकों, ट्राप्टों बन्धक विलेखों विल-बाऊचरों पर हस्ताक्षर करना ।

4—संस्था की अचल चल सम्पत्ति की सुरक्षा करना, दान अनुदान चंदा व सदस्यताशुल्क प्राप्त कर सदस्य बनाना, प्राप्त आय को संस्था कोष में जमा करना ।

5—कल्याणकारी कार्यकर्मों के लिये परियोजना तैयार करना व उसे सम्बन्धित विभागों को स्वीकृत के लिये भेजना ।

6—संस्था के विकास हेतु अन्य वे सभी आवश्यक कार्य करना जो संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति एवं संस्था विकास में सहायक हों करना ।

7—संस्था की ओर से समस्त प्रकार का पत्राचार करना, भीटिंग बुलाना व उसकी सूचना तक पहुंचाना भीटिंग कार्यवाही लिखना ।

8—संस्था के कार्यकर्मों की लपरेखा तैयार करना व उसका प्रचार प्रसार करना ।

9—संस्था के आय-व्यय का लेखा जोखा रखना एवं समस्त आय-व्यय वही पत्रों को तैयार करना ।

10—संस्था के क्रोध को संस्था के खाते में जमा करना एवं दान अनुदान चंदा आदि उत्तम वयत्र प्राप्त करना ।

प्रबन्धक — संस्था की अनुपस्थिति में उनके द्वारा सौंपे गये कार्य एवं सामान्य स्थिति में उनका उपराज्यक विनियमन करना ।

1—संस्था के आय-व्यय का लेखा जोखा रखना एवं समस्त आय-व्यय वही पत्रों को तैयार करना ।

2—संस्था के कोष को संस्था के खाते में जमा करना एवं दान अनुदान चंदा आदि प्राप्त करना ।

3—प्रबन्धक द्वारा स्वीकृत कार्यों को करना व विल-बाऊचरों का भुगतान करना ।

11—संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन प्रक्रिया—

संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन सोसाइटीजिंडिंग की संगत घारा के अन्तर्गत साधारण सभा के 2/3 वहुमत से करना ।

12—संस्था का कोष एवं लेखा व्यवस्था—संस्था का कोष किसी भी वैक या पोस्ट आफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जावेगा । जिसका संचालन संस्था के अध्यक्ष, प्रबन्धक एवं कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के हस्ताक्षर से होगा ।

13—संस्था का लेखा परीक्षण(आडिट)—संस्था का लेखा परीक्षण प्रति वर्ष सत्र समाप्ति पर किसी योग्य चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जावेगा ।

14—संस्था के द्वारा अथवा उसके विलद्द अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व—

संस्था द्वारा होने वाली समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही के संचालन की पैरवी संस्था के प्रबन्धक द्वारा अथवा उनके अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जावेगी ।

15—संस्था के अभिलेख—1—सदस्यता रजिस्टर, 2—कार्यवाही रजिस्ट्रेशन और व्युक्त रसीद व अन्तर्भुक्त रजिस्टर ।

4—निरीक्षण रजिस्टर आदि ।

17—संस्था का विषय—संस्था का विषय और विधित सम्बन्ध के लिये रजिस्ट्रेशन अधिक्रियम की घारा-13 व 14 के अन्तर्गत की जावेगी ।

*memorandum* सत्यप्रतिलिपि यीजी विस्त्रित प्रतिलिपि स्थान

दिनांक 2012

निरीक्षण

संमन

झीला

*[Signature]*

उपराज्यक विवरण  
गोपनीय द्वारा दिया गया दंत, शास्त्र  
2012